

न्यायालय – भूमि सुधार उप-समाहर्ता, खूँटी



दा० खा० अपील वाद सं०– 66/2019-20

प्रथम पक्ष

– 1. प्रदीप महतो वो 2. दिलीप महतो दोनों पिता धरमनाथ महतो
ग्राम– बाड़ा बारू, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी।

द्वितीय पक्ष

– अंचल अधिकारी, खूँटी।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई																		
25.01.21	<p>अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।</p> <p>आवेदक ने वर्तमान वाद दा० खा० वाद सं०–857R27/17-18 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.11.17 के विरुद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना/थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>प्लॉट नं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">बाड़ा बारू</td> <td rowspan="5">खूँटी 211</td> <td rowspan="5">15</td> <td>150</td> <td>0.11</td> </tr> <tr> <td>152</td> <td>0.12</td> </tr> <tr> <td>153</td> <td>0.09</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>0.08</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.40</td> </tr> </tbody> </table> <p>अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा आवेदक द्वारा विलम्ब से वाद दायर करने संबंधी U/S 5 of the Limitation Act के तहत आवेदन दाखिल किया गया। अपील संस्थित करने वो सुनवाई का पर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा० खा० अपील वाद को अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि आवेदक ने उक्त भूमि श्री धरमनाथ महतो पिता स्व० धनु महतो ग्राम–बाड़ाबारू, थाना–खूँटी से रजिस्ट्री पट्टा सं० 1730/1678 दिनांक 23.11.2016 के द्वारा क्रय किया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।</p> <p>अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया कि राजस्व कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन में कहा गया है कि स्वयं पंजी II रैयत द्वारा भूमि की बिक्री की गयी है। विक्रेता द्वारा अपने हिस्से की भूमि बिक्री की है। खरीदगी भूमि पर क्रेता दखलकार है। अतः नामांतरण स्वीकृत करने की अनुशंसा की जा सकती है। जबकी अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। और अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा आदेश में कहे है कि अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण अस्वीकृत की जाती है। अंत में अपील स्वीकार करने का प्रार्थना करते है।</p> <p>अतः अधिकारी, खूँटी को Remand करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आवेदक से पुनः आवेदन प्राप्त करते हुए दाखिल–खारिज की पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> 25/01/21 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p> 25/01/21 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	मौजा	थाना/थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा(एकड़ में)	बाड़ा बारू	खूँटी 211	15	150	0.11	152	0.12	153	0.09	42	0.08		0.40	
मौजा	थाना/थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा(एकड़ में)																
बाड़ा बारू	खूँटी 211	15	150	0.11																
			152	0.12																
			153	0.09																
			42	0.08																
				0.40																